क्रम संख्याः

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय योजना, ...

नये जल संबंध हेतु आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा भरने हेतु जो लागू हो उस खाने में √ करें अन्य खाने में × करें)

1. आवेदक का नाम [ ] 2. पिता/पति का नाम [ ]

3. भवन/स्थान का पूर्ण पता जहॉ जल संबंध लेना है [ ]

4. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल [वर्ग मीटर] [ ]

5. भवन का निर्मित क्षेत्रफल [वर्ग मीटर] [ ]

6. भवन/स्थान की श्रेणीः निजी आवास ☐/राजकीय आवास गृह ☐/कार्यालय ☐/दुकान ☐/अन्य ....☐

7. आवेदक की स्थिति : मालिक ☐/ किरायेदार ☐/ कब्जेदार ☐

8. क. आवेदक का स्थाई पता [ ]

   ख. आवेदक का व्यवसाय एवं कार्यालय/प्रतिष्ठान का पता [ ]

9. जल संबंध का प्रयोजनः घरेलू ☐/व्यवसायिक ☐/औद्योगिक ☐/ प्रकारः स्थाई ☐/अस्थाई ☐

10. जल संबंध की साईजः 15 ☐/20 ☐/25 ☐/40 ☐/50 ☐/80 ☐/100 ☐/150 ☐/मिलीमीटर

11. जल संबंध की प्रणालीः मीटर युक्त ☐/ फ्लैट रेट ☐

मैं जल प्रदाय के संबंध में समय–समय पर प्रभावशील समस्त नियमों तथा विनिमयों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियॉ संलग्न की जा रही हैं।

क. –भवन ☐/भूखण्ड ☐/के स्वामित्व के प्रमाण इकरारनामा ☐/ या/
–किराये पर रहने का प्रमाण ☐/ राजकीय आवास का आवंटन पत्र ☐/ या/
–कच्ची बस्ती के मामले में सर्वे का पत्र ☐/राशनकार्ड ☐/विद्युत बिल ☐/गृहकर रसीद ☐/ या/
–अतिरिक्त जल संबंध हेतु : पूर्व जल संबंध का गत माह का बिल ☐/स्वामित्व का प्रमाण ☐/ या/
–अस्थाई जल संबंध हेतु : कार्य का विवरण ☐/ कार्य आदेश की प्रति
–अन्य ....

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र का इन्द्राज किया । आर–1 पंजिका क्रमांक .... दिनांक ....

जल संबंध लिपिक

साईट रिर्पोटः

1. पाइप लाइन का व्यास .... मिलीमीटर 2. प्रकार : एसी./पीवीसी/सी.आई.
3. पाइप लाइन की भवन/स्थान से देरी ....मीटर 4. पानी का दबाव .... किलोग्राम/वर्ग से.मी.
5. पूर्व में जल संबंध है तो बिल खाता संख्या 1. .... 2. ....
6. पड़ौसी के पानी के बिल का खाता संख्या .... 7. सीवरेज कनैक्शन है तो कोड़ नं. ....
8. रोड़ कटिंग का विवरण : माप .... मीटर × .... मीटर .... मीटर × .... मीटर

प्रकार : पेवर ☐/साधारण डामर ☐/डब्लू.बी.एम. ☐/पत्थर के चौके ☐/सिमेन्ट कंकरीट ☐/
संबंधित विभाग .... 9. अन्य विवरण ....

दिनांक .... **कनिष्ठ अभियन्ता**

लेजर कीपर की रिपोर्ट (पूर्व में जल संबंध होने पर) जल संबंध स्वीकृत किया जाता है।

खाता संख्या ....

जल राजस्व बकाया नहीं है। **लेजरकीपर** **सक्षम अधिकारी**

---

1. नलकार का नाम .... कोड़ संख्या ....
2. सड़क मरम्मत जमा राशि रू............................ .... रसीद संख्या .... दिनांक ....
3. समर्पित मीटर नम्बर .... परिमाण .... मिलीमीटर, मेक ....
4. जल संबंध राशि रू. .... प्रतिभूति रू. .... अन्य रू. .... योग रू. ....

रसीद संख्या .... दिनांक ....

जल संबंध लिपिक

पाइप फिटिंग निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुमोदनः–

1. (क) जी.आई.पाइप व स्पेशल्स निर्धारित मापदण्ड के है ☐/ नहीं है ☐
   (ख) सर्विस लाइन की गहराई 0.60 मीटर से कम नहीं है ☐/ कम है ☐
   (ग) मीटर स्थल निर्धारित ऊॅचाई पर बनाया है ☐/ नहीं है ☐
   (घ) क्षेप्य जल विर्सजन के लिए नाली का प्रबन्ध है ☐/ नहीं है ☐
   (च) सर्विस लाइन नाली /सीवर मैन होल से होकर नहीं जा रही है ☐/ जा रही है व केसिंग कर दी गई है ☐ / केसिंग नहीं है ☐
   (छ) साइट पर पाइप फिटिंग पूर्ण है ☐/पाइप फिटिंग अपूर्ण है ☐ /पाइप फिटिंग नहीं है ☐
   (ज) अन्य विवरण ....

दिनांक .... **कनिष्ठ अभियन्ता** **सहायक अभियन्ता**

जल संबंध प्रतिवेदनः

1. जोब कार्ड संख्या .... दिनांक .... 2. जल संबंध चालू करने की दिनांक ....
3. जल संबंध पर लगाये मीटर का विवरणः मीटर नं. .... परिणाम .... मि.मि.मेक .... प्रा.पठन ....
4. आर.2 पंजिका क्र.सं. .... 5. आवंटित खता संख्या .... सर्विस संख्या ....
6 विशेष विवरण ....

जल संबंध लिपिक **कनिष्ठ अभियनता (मीटर अनुभाग)**

(विभाग द्वारा आवेदन पत्र जमा करते समय इसे अलग कर आवेदक को देना है)

जल संबंध हेतु आवेदन के लिए निर्देशः

1. आवेदन पत्र को पूर्णरूप से भरकर वांछित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियॉ संलग्न कर,, आवेदन पत्र फाइल में लगा कर संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र जमा कराते समय कार्यालय में इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें।
2. विभाग से जल संबंध स्वीकृति की सूचना मिलने पर पाईप फिटिंग कार्य, विभाग द्वारा अधिकृत नलकार से अनुमानपत्र प्राप्त करके ही करवायें। नलकार का अनुज्ञापत्र व परिचय पत्र देखकर मान्यता की पुष्ठि कर लें।
3. जल संबंध हेतु बी/सी श्रेणी (आइ. एस. आइ. मापदण्ड) के पाइप व अन्य फिटिंग का उपयोग करें।
4. रोड़ कटिंग होने पर, रोड़ कटिंग मरम्मत राशि संबंधित विभाग, जो उस रोड़ की मरम्मत करता है, में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। सड़क काटते समय नलकार जमा राशि रसीद की सत्यापित/अनुमति पत्र के साथ साइट पर उपलब्ध रहे।
5. पानी का नया मीटर खरीदते समय उसका विभाग द्वारा जारी जॉच प्रमाण–पत्र साथ में अवश्य लेवें।
6. नलकार से पाईप फिटिंग पूर्ण करानें के बाद जल संबंध स्वीकृति की सूचना में मॉगे अनुसार नलकार का पाईप फिटिंग प्रमाण पत्र (प्रपत्र ज–3) निर्धारित करार पत्र, सड़क मरम्मत जमा राशि की रसीद/अनुमति पत्र, जॉच शुदा मीटर तथा मॉगी गई राशि विभाग में जमा कराके रसीद प्राप्त करें।
7. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों में प्रथम जल संबंध हेतु आवासन मण्डल द्वारा दिया गया पाइप फिटिंग प्रमाण पत्र विभाग में मान्य है।
8. जल संबंध के समय विभाग के फिटर से जल संबंध की सूचना पर्ची प्राप्त कर ले व इसे सम्भाल कर रखें।

जल संबंध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचनाः

1. आपका जल संबंध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी का प्रथम बिल आपको प्राप्त न हो तो राशि की रसीद व जल संबंध की सूचना की पर्ची ले कर संबंधित सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें।
2. आपके यहॉ लगे मीटर की पूर्ण सुरक्षा रखें।
3. मीटर का पठन करना आप स्वयं भी सीख लें तथा प्रत्येक माह पठन कर बिल में अंकित मीटर पठन से मिलान कर लेवें।
4. यदि आपका पानी का बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की प्रति प्राप्त करें।
5. मीटर या बिल संबंधी शिकायत होने पर सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करें। वहॉ पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
6. उपखण्ड के मीटर पाठक/बिल वितरक/अन्य कर्मचारी/नलकार से शिकायत होने पर पूर्ण प्रमाण सहित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें। उचित कार्यवाही न होने पर खंडीय कार्यालय में सहायक अभियन्ता (सर्तकता) से सम्पर्क करें।
7. अच्छी सेवा के लिए विभाग को आपके सहयोग की अपेक्षा है। पानी के बिल का भुगतान समय पर करें व छूट राशि का लाभ उठाएँ।

स्वच्छ जल सीमित है, इसका सदुपयोग करें।

रसीद आवेदन पत्र

श्री/श्रीमति/कुमारी .... से (स्थान) ....

.... पर नये जल संबंध हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

आर–1 पंजिका क्रमांक .... दिनांक ....

जल संबंध लिपिक

(कार्यालय मोहर)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ उपभोक्ता द्वारा किये जाने वाला करार का प्रारूप
(5 रू. के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित कराना है)

करार पत्र

यह करार पत्र आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को श्री / श्रीमती / कुमारी .... पुत्र / पुत्री / पत्नि .... निवासी .... वर्तमान पता .... अभिव्यक्ति में **जहॉ संदर्भ से ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक प्रशासन एवं समुदेशित सम्मिलित है जिसे एतद् पश्चात उपभोक्ता कहा जाएगा, एक पक्ष तथा सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मार्फत राजस्थान के राज्यपाल, इस अभिव्यक्ति में जहां स्वीकार्य हो, उसके उत्तराधिकारी एवं समुनेदेशित सम्मिलित है, जिस एतद् पश्चात राज्यपाल कहा जायेगा, दूसरा पक्ष के बीच संपन्न हुआ। इसके द्वारा निम्नलिखित करार दिये जाते है।**

1. यह है कि उपभोक्ता अधिनियमों एवं राज्यपाल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्यपाल से उपलब्ध करवाये अनुसार पानी प्राप्त करने का वचन देता है तथाकथित उपभोक्ता उस पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व एवं सीवरेज प्रभार की राशि नियमों के अनुसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जावेगा।
2. उपभोक्ता सरकारी मुख्य या उप मुख्य लाइन से सर्विस लाइन के रख रखाव या मरम्मत या बदलने के लिये अनुमानित व्यय के अनुसार धन राशि जमा करवायेगा और राज्यपाल की ओर से सर्विस लाइन के रख रखाव या मरम्मत या बदलने के लिए अनुमानित व्यय के अनुसार कार्य को पूरा कराया जायेगा। उपभोक्ता धन राशि जमा नहीं करायेगा तो उपभोक्ता का पानी का कनैक्शन काट दिया जायेगा और धन राशि की वसूली पी. डी. आर अधिनियम के अधीन की जावेगी।
3. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चल जाने / खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर विभाग में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर उपभोक्ता से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
4. मीटर / लाइन में सरकार / उपभोक्ता की ओर से किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर की खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
5. उपभोक्ता द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जावेगा। उपभोक्ता को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
6. उपभोक्ता के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
7. उक्त जल संबंध द्वारा इससे संबंधित भवन / भूमि पर उपभोक्ता को स्वामित्व संबंधी कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
8. जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नही लिया गया है, वहॉ विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर उपभोक्ता को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।

साक्षीः 1. हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

साक्षीः 2. हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....

सहायक अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
उपखण्ड

सहमति पत्र

1. मै .... पुत्र श्री .... निवासी .... यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्लाट नंबर/मकान नं. .... पता .... में मैं जो जल संबंध ले रहा हूॅ/ले रही हूॅ वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग से विवादग्रस्त नहीं है और पूर्णतः मेरे अधीन है।
2. यह है कि सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा भूमि को आवाप्त करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका मैं भुगतान करने के लिये बाध्य हॅूगा/हॅूगी।
3. यह है कि उक्त जल संबंध का उपयोग मैं किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करूंगा/करूंगी।
4. यह है कि मुझे दिये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो मुझे इस विषय में कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इस संबंध में मेरे द्वारा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जावेगा।
5. यह कि मेरा वर्तमान भवन/निर्माणधीन भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड–1) से अधिक नहीं है। जब भी में दो मंजिल से अधिक निर्माण करूंगा/करूंगी तब रूपये 15/– प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दूंगा/दूंगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर विभाग को मेरा जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को मैं बाध्य रहॅूगा/रहॅूगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदक

साक्षीः

प्रमाणित
नोटेरी पब्लिक

प्रपत्रः ज–3 (संशोधित)

(पाईप फिटिंग कार्य पूर्ण होने पर, नलकार द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र)

क्रमांक .... दिनांक ....

सहायक अभियन्ता, नलकार अनुज्ञा कोड़ नं.......... वर्ष 20......... 20........

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,

राजस्व उपखण्ड ....

अधिशासी अभियंता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
राजस्व खण्ड ....

संदर्भः आपका स्वीकृति पत्र संख्या .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि हमने निम्नांकित भवन/स्थान में नया जल संबंध हेतु पाईप फिटिंग कार्य पूर्ण कर लिया है। फिटिंग का कार्य निम्न प्रकार हैः

1 आवेदक का नाम ☐

2 भवन/स्थान का पूर्ण पता जहॉ जल संबंध लेना हैः ☐ ☐

3 भवन/स्थान पूर्व विद्यमान जल संबंधों की खाता संख्याः ☐

4 जी.आई. पाईप की साईज ☐ मि.मी. 5 सर्विस पाईप श्रेणी ☐

6 सर्विस लाईन की लम्बाई ☐ मीटर 7 कुल टोंटियों की संख्या ☐ नग

(भवन/भूखण्ड की चार दीवारों से फेरूल प्वाइन्ट तक)

यह भी प्रमाणित किया जात है किः–

(क) जी.आई.पाईप व स्पेशल्स निर्धारित मानदण्ड के लगाये गये है।
(ख) सर्विस लाईन की गहराई 0.60 मीटर से कम नहीं है।
(ग) मीटर स्थल की ऊॅचाई भू सतह से 0.30 मीटर से कम नहीं है।
(घ) मीटर की सुरक्षा के लिये मीटर बाक्स/चैम्बर की व्यवस्था कर दी गयी है।
(च) सर्विस लाईन नाली/सीवर मैन होल से होकर जा रही है।
या, सर्विस लाईन नाली/सीवर मैन होल से होकर जा रही व केसिंग कर दी गई है। यदि हां तो केसिंग की साईज ☐ मि.मी. है।
(छ) साईट पर पाईप फिटिंग पूर्ण है।
(झ) फेरूल प्वाइन्ट की स्थिति का रेखा चित्र इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग पर बना दिया है।

अनुज्ञा पत्र प्राप्त नलकार के हस्ताक्षर ....
नाम व पता (मोहर)
कोड़ नं. ....

' फेरूल प्वाइंट के मकान के बिल्कुल सामने न होने की स्थिति में फेरूल प्वाइंट की दूरी किन्हीं दो स्थाई बिन्दुओं से दर्शाई जावे।